

पत्रांक-म०भो०/को०-46/2012.(अंश -क)...../

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मद अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना के पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु आवंटनादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

माँग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01, प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, उपशीर्ष-0002- मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना, विपत्र कोड N2202011120002 के अन्तर्गत वेतनादि में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी में अंकित राशि ₹ 11,54,400/- (ग्यारह लाख चौवन हजार चार सौ) मात्र आपके निस्तारार्थ आवंटित की जाती है।


2. इस आवंटित राशि में वित्तीय वर्ष 2013-14 अथवा उसके पूर्व के बकाये वेतन का भुगतान किया जा सकता है। यदि आवंटित राशि का बकाये का वेतनादि का भुगतान किया जाता है। तो इसकी विवरणी निश्चित रूप से दिनांक 30.12.2014 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक 17.04.1998 एवं 300(वि), दिनांक 8.05.2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
4. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों को ही भुगतान किया जाय।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाय। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं माँग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आबंटित राशि से किया जा सकता है।
9. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
10. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (मध्याह्न भोजन योजना) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

ह०/-
(संजीवन सिन्हा)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 1242 / पटना, दिनांक 03/12/14 /


प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05/कार्यालय सहायक-05/सहायक आंतरिक वित्तीय कोषांग/आई०टी०मैनेजर/सी०एम०डी० सेन्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(संजीवन सिन्हा)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना

भौग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, उपशीर्ष-0002-मध्याह्न भोजन योजना, विपत्र कोड-एन 2202011120002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मध्याह्न भोजन योजना में निदेशालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए आवंटित राशि की विवरणी:-

क्रम संख्या	सहायक निदेशक, मंभोयो, शिक्षा विभाग	आवंटन विवरणी	वेतन	जीवन यापन	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	शिक्षित भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	शिक्षित प्रतिभूति	विद्युत प्रकार	वर्दी/प शाक	किराया महसूल एवं कर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	कूट संख्या		0101	0103	0104	0105	0106	0107		1101	1301	1302	0601	1304	1306	1401	
		पूर्व आवंटन 2014-15	785000	790500	90000	24000	4800	-	1694300	0	0	0	0	0	0	0	1694300
1	सहायक निदेशक, मंभोयो, शिक्षा विभाग	वर्तमान आवंटन 2014-15	550000	550000	50000	4000	400		1154400	0	0	0	0	0	0	0	1154400
		कुल आवंटन 2014-15	1335000	1340500	140000	28000	5200	0	2848700	0	0	0	0	0	0	0	2848700
	कुल योग		1335000	1340500	140000	28000	5200	0	2848700	0	0	0	0	0	0	0	2848700

कुल वर्तमान आवंटन - (₹ ग्यारह लाख चौवन हजार चार सौ) मात्र


निदेशक
संजीवन (सिद्धा)

मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना